

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2022—आषाढ़ 29, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. एफ-ए-3-22-2021-1-पांच-(40).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-22-2021-1-पांच (93), भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं अधिसूचना क्र. एफ ए-3-22-2021-1-पांच (27), भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द "31 जुलाई, 2022" के स्थान पर अंक एवं शब्द "30 सितम्बर, 2022" प्रतिस्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. एफ-ए-3-22-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-22-2021-1-पांच-(40), दिनांक 20 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> July 2022

No. F-A-3-22-2021-1-V (40).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F A 3-22-2021-1-V-(93), dated 30th December, 2021 and notification No. F A 3-22-2021-1-V(27), dated 27th April, 2022, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the word and figure "31<sup>st</sup> July, 2022", the word and figure "30<sup>th</sup> September, 2022" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.